मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

कुलदीप .... **बनाम** .... कृष्ण कुमार आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 235/2021

निर्णय दिनांक :– 01-12-2021

वादी की ओर से वकील जयसिंह गोदारा की व प्रतिवादी सं0 1, 2 की ओर से वकील नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं० 725/670 के खसरा सं० 516 की 5.1610 है०, खसरा सं० 519 की 14.5600 है०, खसरा सं० 552 की 2.4910 है० कुल 22.1120 है० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण कुमार के नाम 0.737 है० व रोही कलाना के खाता सं० 556/513 के खसरा सं० 492 की 5.1490 है०, खसरा सं० 553 की 5.6290 है० कुल 10.7780 है० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण कुमार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण कुमार का नाम खारिज किया जाकर वादी कुलदीप व प्रतिवादी सं० 2 संदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावे। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (प्रभारी) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प कलाना

Scanned with CamScanner